वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 3/2018/36/52-3-18-बजट(10)/2016

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 11 जनवरी, 2018

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लाट सं0-672 हेतु वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-एफ-8-20/2016 □□ 19, दिनांक 11.09.2017 तथा अपने पत्र सं0-5282/□0□0 □0□□0/□□0□□□0/2017, दिनांक 06.11.2017 □□ संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत लाट सं0-672 मदरसों को वर्ष 2015-16 हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.03.2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 10,02,60,000/- की धनराशि अनुमोदित की गयी थी। जिसे अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 □□ □□□□□□ □0□-□□0□0 34/52-3-16-□□□(10)/16 टी□□0, दिनांक 15.5.2016 द्वारा आपके निर्वतन पर रखा जा चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र □0□-□□-8-20/2016 □□ 19, दिनांक 11.09.2017 द्वारा लाट सं0-672 मदरसों हेतु (द्वितीय किश्त) की □□□□ □□□□□ रू0 10,02,60,000/-अवमुक्त की गयी है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्रांश के रूप में रू0 03,36,36,90,000/- का आय व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू0 8,84,05,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अवशेष धनराशि रू0 3,27,52,85,000/- है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपरोक्त शासनादेश द्वारा 672 हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 10,02,60,000 (रू दस करोड़ दो लाख साठ हजार मात्र) निम्नंाकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता □□□ □□□।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं □□□ पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने □□□आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी □□□□□ की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) शिक्षकों के मानदेय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसी अवधि के मानदेय का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि के लिए धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

(6) पूर्व में स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की शर्त के अधीन यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त के साथ ही साथ प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का भी □□योगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/ रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगें, जब वह मदरसे के संबंध □□□□/शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

5. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/□□0-□□0)- 20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/ □□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं पत्र सं0-12/2017/□□-1-1455/ □□-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

संख्या-36/52-3-18 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत □□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन, थार्न हिल रोड, □□□□□□□

5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें, □0प्र0 □□□□

8- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□ □□□, □□□□ □

9- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्यय□) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नियोज□ □□□□-3 □□□□□ □□□□□

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त □□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in